न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 138 सन 2019

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी श्योरानी हाल माधासिधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी श्योरानी हाल माधोसिधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. असल प्रतिवादीगण
3. शैलजा 3 कविता 4. सन्तोष पि0 औमप्रकाश जाति जाट निवासी श्योरानी हाल माधोसिधाना तहसील व जिला सिरसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 23/25 के खसरा न0 185/8.1970व खसरा 210/9.6100हैक कुल 17.7980हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा डुगरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी डुगरराम व भोमाराम सगे भाई थे वादी भोमाराम का लउका है डुगरराम लावल्द फोत हो चुका है और उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम से दर्ज करवा ली जबकि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 कोपासनर है

वादी के चाचा डुगरराम था जिसके कोई औलाद नही थी वादी ही अपने चाचा के साथ रहता था और सेवा चाकरी करता था इसलिये डुगरराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत वादी के पक्ष में करवाई गई थी डुगरराम का देहान्त हो गया है डुगरराम के देहान्त होने के बाद डुगरराम की वसीयत के अनुसार भी वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है।

वाद के पक्षकारान के मध्य वाद भूमि के सम्बध में आपसी पंचायती से राजीनामा हो गया है बाहमी राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने सहमति से अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि का वाद अकेला खातेदार काश्तकार है इसी आश्य की धोषणा न्यायालय से करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी अकेला खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी

के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका आपसी सहमति से पंचायती में राजीनामा हो चुका है राजीनामा के अनुसार वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी खातेदार काश्तकार है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 23/25 के खसरा न0 185/8.1970व खसरा 210/9.6100हैक कुल 17.7980हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा डुगरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी डुगरराम व भोमाराम सगे भाई थे वादी भोमाराम का लउका है डुगरराम लावल्द फोत हो चुका है और उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम से दर्ज करवा ली जबकि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 कोपासर्नर है।

वादी के चाचा डुगरराम था जिसके कोई औलाद नही थी वादी ही अपने चाचा के साथ रहता था और सेवा चाकरी करता था इसलिये डुगरराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत वादी के पक्ष में करवाई गई थी डुगरराम का देहान्त हो गया है डुगरराम के देहान्त होने के बाद डुगरराम की वसीयत के अनुसार भी वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है।

किन्तु प्रतिवादी औमप्रकाश से गलत तथ्य पेश कर वादी के हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम करवाई गई है वाद भूमि में औमप्रकाश का कोइ हक हिस्सा नही है बल्की वादी के हक हिस्सा की भूमि है।

वाद के पक्षकारान के मध्य वाद भूमि के सम्बध में आपसी पंचायती से राजीनामा हो गया है बाहमी राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने सहमति से अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि का वाद अकेला खातेदार काश्तकार है इसी आश्य की धोषणा न्यायालय से करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 309 ,1991 आर.आरडी पेज 540(बी) 1984 आरआरडी पेज 862 एवं 1976 एआईआर पेज 807 जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88(25) को मान्यता दी गई कि सयुक्त परिवार की सम्पति में हर सदस्य का हिस्सा बराबर है एवं आपसी सहमति से कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है

इसी प्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 23/25 के खसरा न0 185/8.1970व खसरा 210/9.6100हैक कुल 17.7980हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा डुगरराम के नाम से दर्ज है डुगरराम व भोमाराम सगे भाई थे वादी भोमाराम का लउका है डुगरराम लावल्द फोत हो चुका है और उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम से दर्ज करवा ली जबकि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 कोपासनर है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को आपसी राजीनामा से त्याग कर दिया है अब वाद भूमि वादी अकेले के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत डुगरराम की वसीयत के अनुसार भी डुगरराम के देहान्त होने पर वादी वाद भूमि वसीयत के अनुसार भी पाने का अधिकारी है संरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार भी डुगरराम का देहान्त हो गया हे डुगरराम की भूमि ग्राम श्योरानी में वादी ही काश्त करता है इन तथ्यों को वादी ने स्वीकार भी कर लिया है किसी प्रकार का ऐतराज भी नही किया गया है तथा औमप्रकाश की पुत्रीयों के द्वारा भी वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की होने के समर्थन किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की भूमि को परिवारिक सदस्य आपसी सहमति /राजीनामा ने परिवार के सदस्य के नाम से दर्ज करवाई जा सकती है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 23/25 के खसरा न0 185/8.1970हैक व खसरा न0 210/9.6010हैक कुल 17.7980हैक में से 1/2 हिस्सा यानी 8.899हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है को नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी श्योरानी हाल माधासिधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 औमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी श्योरानी हाल माधोसिधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

2 शैलजा 3 कविता 4. सन्तोष पि0 औमप्रकाश जाति जाट निवासी श्योरानी हाल माधोसिधाना तहसील व जिला सिरसा

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 138 सन 2019 निर्णय दिनांक– 14/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 23/25 के खसरा न0 185/8.1970हैक व खसरा न0 210/9.6010हैक कुल 17.7980हैक में से 1/2 हिस्सा यानी 8.899हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है को नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)